पत्रांकः–13/उ0न्या0–06–55/2020 - 670.

बिहार सरकार

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग,
–सह–मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
बिहार, पटना

पुलिस महानिदेशक
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता

सभी वरीय पुलिस अधीक्षक

सभी पुलिस अधीक्षक

सभी सहायक आयुक्त मद्य निषेध

सभी अधीक्षक मद्य निषेध।

पटना, दिनांक– 07.02.2020

विषयः– **बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम के अधीन वाहनों की जप्ती एवं अधिहरण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के अनुपालन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा वाहनों की जप्ती एवं अधिहरण के संबंध में समय–समय पर विभिन्न वादों में न्यायादेश पारित किये गये हैं। CWJC संख्या–2050/2020 बुनिलाल साह बनाम् राज्य सरकार में दिनांक 29–01–2020 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा अधिहरण के संदर्भ में अभी तक पारित किये गये सभी न्यायादेशों का समावेश है। सभी समाहर्त्ता, वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, सहायक आयुक्त, मद्य निषेध एवं अधीक्षक, मद्य निषेध को निदेशित किया जाता है कि CWJC संख्या–2050/2020 बुनिलाल साह बनाम् राज्य सरकार में पारित आदेश का पूर्णपाठ, वेबसाईट से डाउनलोड कर ध्यानपूर्वक पढ़ लें। माननीय न्यायालय के न्यायादेश के अनुपालन में जप्त वाहनों का अधिहरण के संबंध में निम्नलिखित निदेश दिये जाते हैं –

record a positive finding after hearing the petitioner as to whether when the petitioner is found or the vehicle is found to be used by a person in drunken condition and no liquor is seized from the vehicle or when the vehicle is not used for transportation of liquor, whether the provision of Section 56 of the Act will apply.)

3 वैसे व्यक्ति जो शराब पीकर वाहन का परिचालन कर रहे हों और उनके वाहन से शराब की बरामदगी नहीं होती है, वैसी स्थिति में सिर्फ शराब पीने वाले व्यक्ति पर मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

((vi) order dated 11.09.2017 passed in CWJC No.13158 of 2017 titled as Sanjay Kumar Versus The State of Bihar & Ors.; (vii) order dated 27.03.2018 passed in CWJC No.5528 of 2018 titled as Bikash Kumar Vs. The State of Bihar & Ors.; (viii) order dated 27.03.2018 passed in CWJC No.5528 of 2018 titled as Bikash Kumar Versus The State of Bihar & Ors.; (ix) order dated 01.05.2018 passed in CWJC No.7755 of 2018 titled as Anandi Prasad Versus The State of Bihar & Ors.; (x) order dated 01.05.2018 passed in CWJC No.7644 of 2018 titled as Suraj Ram Versus The State of Bihar & Ors.; (xi) order dated 07.08.2018 passed in CWJC No.15435 of 2018 titled as Kalesar Chaudhari Versus the State of Bihar & Ors.; (xii) judgement dated 18.01.2019 passed in CWJC No.1215 of 2019 titled as Raushan Kumar @ Raushan Kumar Singh Versus The State of Bihar & Ors.;- That apart, in the confiscation proceedings, the confiscating authority shall take note of the provisions of Section 56 of the Bihar Prohibition and Excise Act, 2016 and record a positive finding after hearing the petitioner as to whether when the petitioner is found or the vehicle is found to be used by a person in drunken condition and no liquor is seized from the vehicle or when the vehicle is not used for transportation of liquor, whether the provision of Section 56 of the Act will apply. It shall be mandatory for the confiscating authority to decide this issue before passing any order on the confiscation proceedings.)

4. वाहनों की जप्ती के पश्चात उसके अधिहरण से संबंधित वाद का अधिक़तम 03 माह के अंदर निष्पादन करना सुनिश्चित किया जायेगा।

carriage of liquor. The issue shall be decided by each and every District Magistrate before proceeding in the confiscation proceedings where the allegation is about the vehicle being driven in a drunken condition and no liquor was found from the possession of the vehicle.)

8. पूरी प्रक्रिया 03 महीने में अपनाकर अधिहरण वाद को निष्पादित करेंगे। इन 03 महीनों में निष्पादित नहीं होने पर संबंधित समाहर्त्ता/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक कारण के साथ उत्पाद पक्ष आयुक्त उत्पाद को एवं पुलिस पक्ष पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध इकाई) को प्रतिवेदित करेंगे।

9. सभी समाहर्त्ता/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जिले में कार्यरत एन0आई0सी0 के माध्यम से जिला बेवसाईट पर जप्त वाहनों की सूची, अधिहरण की स्थिति एवं नीलामी की सूचना अपलोड करेंगे ताकि जनसाधारण को सूचना सुलभ हो सके। तदनुसार बेवसाईट को अपडेट कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. वैसे मामले जिसमें अधिहृत वाहनों की नीलामी के अवसर पर नीलामी में उपस्थित होने वाले इच्छुक व्यक्तियों की संख्या नगण्य हो या कोई भी इच्छुक उम्मीदवार उपस्थित नहीं होता है, इसके कारणों की समीक्षा करेंगे। यदि नीलामी हेंतु निर्धारित सुरक्षित जमा राशि अत्याधिक तय होने के कारण ऐसा हो रहा हो तो ऐसे मामलों में जिला परिवहन पदाधिकारी अथवा मोटर यान निरीक्षक से वाहनों का उचित बाजार मूल्य/वास्तविक मूल्य निर्धारित कराकर नीलामी की कार्रवाई पूर्ण करेंगे।

विश्वासभाजन,

(गुप्तेश्वर पाण्डेय)
पुलिस महानिदेशक
बिहार।

7.2.2020

(आमिर सुबहानी)
अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग–सह–
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
बिहार, पटना।

o/c